

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर 2020—भाद्रपद 27, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 जून 2020

क्रमांक ई-1-5/2020/एक/2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री टामन सिंह सोनवानी भा.प्र.से. (सी.जी.-2004) द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30-05-2020 के प्रकाश में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम-16(2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित 90 दिवस की कालावधि में छूट प्रदान कर उन्हें अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व दिनांक 31-05-2020 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 19-03/2020/25-1.—इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19-47/2011/25-2 दिनांक 28-07-2018 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम-1995 (क्र. 26 सन् 1995) की धारा-3 के अंतर्गत डॉ. सियाराम साहू को दिनांक 28 जुलाई, 2018 से आगामी आदेश तक छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था.

2. उक्त आदेश के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्वारा डॉ. सियाराम साहू के स्थान पर श्री थानेश्वर साहू, दाउपारा बिलासपुर रोड़, मुंगेली को अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिये नियुक्त करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 19-03/2020/25-1.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम-1995 (क्र. 26 सन् 1995) की धारा-3 के अंतर्गत श्री महेश चंद्रवंशी को छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में पदग्रहण के तिथि से आगामी 03 वर्ष के लिए सदस्य नियुक्त करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 19-04/2020/25-1.—राज्य शासन एतद्वारा राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम-1995, अध्याय-2 की कंडिका-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अशासकीय व्यक्ति श्रीमती पदमा मनहर को उनके पद ग्रहण तिथि से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पद पर नियुक्त करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 19-05/2020/25-1.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की उपविधि क्रमांक 25 के प्रावधान अनुसार सुश्री नीता लोधी, सड़क नं. 39, म.नं.-5B, सेक्टर-5 खुर्सीपार, भिलाई को आगामी आदेश पर्यन्त छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, मर्यादित रायपुर का उपाध्यक्ष नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, अपर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 7-06/2011/32(पार्ट-2).—राज्य शासन, एतद्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र.-23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित निवेश क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है :—

- | | | | |
|----|--------------------|---|-------------------------------|
| 4. | जिला जगदलपुर | — | 1. बड़े कनेरा, निवेश क्षेत्र. |
| 5. | जिला जांजगीर चांपा | — | 1. खरौद, निवेश क्षेत्र. |
| 6. | जिला कोरिया | — | 1. सोनहत, निवेश क्षेत्र. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिकी, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर चांपा दिनांक 27 जून 2020

क्रमांक 5955/अ-82/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर चांपा	जैजैपुर	गुचकुलिया प.ह.नं.-12	0.847	कार्यपालन अभियंता, मिनी माता बांगो नहर संभाग क्र. 06 नंदेलीभांठा सक्ती, जिला- जांजगीर-चांपा.	करमनडीह सब माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर चांपा दिनांक 27 जून 2020

क्रमांक 5957/अ-82/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर चांपा	जैजैपुर	बेलादुला प.ह.नं.-12	0.367	कार्यपालन अभियंता, मिनी माता बांगो नहर संभाग क्र. 06 नंदेलीभांठा सक्ती, जिला- जांजगीर-चांपा.	खरवानी सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर चांपा दिनांक 27 जून 2020

क्रमांक 5959/अ-82/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर चांपा	जैजैपुर	पाड़ाहरदी प.ह.नं.-12	1.738	कार्यपालन अभियंता, मिनी माता बांगो नहर संभाग क्र. 06 नंदेलीभांठा सक्ती, जिला- जांजगीर-चांपा.	करमनडीह सब माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
जांजगीर, दिनांक 25 अप्रैल 2020	1628/1	0.032
	1627, 1629/1	0.077
	1732/2	0.061
क्रमांक/4170/अ-82/2020.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	1732/1	0.045
	1733/2	0.053
	1789/2	0.020
	1734/1	0.004
	1734/2	0.020
	1788	0.020
	1787	0.028
	1786/1, 1786/2	0.040
	1785/2	0.057
अनुसूची	1785/1	0.093
(1) भूमि का वर्णन-	1814/1	0.049
(क) जिला-जांजगीर-चांपा	1814/2	0.053
(ख) तहसील-जैजैपुर	1814/3	0.040
(ग) नगर/ग्राम-परसाडीह, प.ह.नं. 19	1814/4	0.036
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.381 हेक्टेयर	1814/5	0.040
	1824/1, 1825/1	0.069

(1)	(2)	(1)	(2)
1822/1	0.016	2523	0.069
1822/4	0.045	2522	0.081
1868/1क	0.024	2526/1	0.016
1868/1ख	0.012		
1869/1	0.032	योग	35
1888	0.109		1.381
1882/2	0.040	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरेठीखुर्द सब माइनर नहर निर्माण हेतु.	
1889	0.004	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.	
1881	0.036		
2520/1	0.012		
2520/2	0.012		
2520/3	0.016	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
2520/4	0.020	जे. पी. पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड

बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2020

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2020-21/2815.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/3066 दिनांक 16-08-2019 द्वारा श्री सी. एल. रामटेके, वरिष्ठ कृषि अधिकारी, छुईखदान को कृषि उपज मंडी समिति गंडई, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अपर कलेक्टर जिला राजनांदगांव (छ.ग.) का ज्ञापन क्रमांक/5077/ज्ये.लि.-1/2020 राजनांदगांव दिनांक 05-08-2020 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति गण्डई के भारसाधक अधिकारी श्री सी. एल. रामटेके, वरिष्ठ कृषि अधिकारी, छुईखदान का सेवानिवृत्त हो जाने से उनके स्थान पर श्री कुंजीलाल कोठारी, कृषि विकास अधिकारी, गंडई को कृषि उपज मंडी समिति गंडई, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री सी. एल. रामटेके, वरिष्ठ कृषि अधिकारी, छुईखदान के स्थान पर श्री कुंजीलाल कोठारी, कृषि विकास अधिकारी, गंडई को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति गंडई, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2020

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2020-21/2817.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/5704 रायपुर, दिनांक 16-12-2019 द्वारा श्री दिनेश चन्द्र कोसले, उपसंचालक कृषि सूरजपुर को कृषि उपज मंडी समिति सूरजपुर जिला सूरजपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अपर कलेक्टर जिला सूरजपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक 2365/व.लि.शाखा/2020 दिनांक 13-07-2020 द्वारा श्री पुष्पेन्द्र शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर को कृषि उपज मंडी समिति सूरजपुर जिला सूरजपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री दिनेश चन्द्र कोसले, उपसंचालक कृषि सूरजपुर के स्थान पर श्री पुष्पेन्द्र शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2020

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2020-21/2819.—अपर कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/3129/कले./व.लि.-2/2020 दिनांक 05-08-2020 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति संबलपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के भारसाधक अधिकारी श्री डी. एस. पटेल, अनुविभागीय अधिकारी कृषि भानुप्रतापपुर के स्वास्थ्य ठीक नहीं होने का उल्लेख करते हुए उनके स्थान पर श्री जी. पी. शर्मा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि भानुप्रतापपुर को कृषि उपज मंडी समिति संबलपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने प्रस्ताव दिया गया है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री डी. एस. पटेल, अनुविभागीय अधिकारी कृषि भानुप्रतापपुर के स्थान पर श्री जी. पी. शर्मा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि भानुप्रतापपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति संबलपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(पी. अरूण प्रसाद)

प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 24th August 2020

No. 639/Confdl./2020/II-2-99/2001(Pt.-III).—On the basis of application of Shri Amit Pratap Chandra, Member of Lower Judicial Service, presently posted as II Civil Judge Class-II, Mahasamund requesting for change of his home district, permission is hereby accorded to change his home district as “Janjgir-Champa” instead of “Bilaspur”. He is directed that he shall not be entitled to change his home district again in future.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 26 अगस्त 2020

क्रमांक 133/दो-3-13/2008.—श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 29-06-2020 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

आदेशानुसार,

आर. पी. देवांगन,
लेखाधिकारी.